UPBJ010030342020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0,एस0टी0(पी0ए0) एक्ट, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– अपर्णा पाण्डेय-UP-6325

सत्र वाद सं0–649/2020

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन**

बनाम

1–सुरेन्द्र सिंह पुत्र सोमा सिंह
2–बोबी कुमार पुत्र सुभाष चन्द
निवासीगण ग्राम आनन्द खेडी, थाना कोतवाली देहात, जिला बिजनौर।
3–मुकेश कुमार उर्फ मोन्टी कुमार पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम नासरपुर मंसूरपुर, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर। ....**अभियुक्तगण**

मु0अ0सं0–70/2020
धारा–323 सपठित 34, 504 भा0दं0सं0 व
3(1)द, 3(1)ध एस.सी.,एस.टी. (पी0ए0) एक्ट
थाना–कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर।

निर्णय

1– अभियुक्तगण सुरेन्द्र सिंह, बोबी कुमार व मुकेश कुमार उर्फ मोन्टी कुमार का विचारण थाना कोतवाली देहात, जिला बिजनौर में पंजीकृत मु0अ0सं0 70/2020 में विवेचक क्षेत्राधिकारी नगीना, जनपद बिजनौर द्वारा उनके विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 323, 504 भा0दं0सं0 व 3(1)द, 3(1)ध एस.सी.,एस.टी.(पी0ए0) एक्ट के आधार पर किया गया।

अभियोजन कथानक

2– संक्षेप में वाद के तथ्य निम्न प्रकार हैं–

वादी मुकदमा महेश पुत्र छोटे निवासी ग्राम आनन्द खेडी थाना कोतवाली देहात, जिला बिजनौर के द्वारा दिनांक 13–03–2020 को अभियुक्तगण सुरेन्द्र, बाबी, सुभाष का

Digitally signed by APARNA PANDEY
Date: 2026.08.20 17:29:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भान्जा मोन्टी व दर्जनों अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 10–03–2020 को दोपहर करीब तीन बजे उसका बेटा गौरव तथा बन्टी पुत्र नरेश समीपस्थ गांव रनैणी अपनी बाईक द्वारा जा रहे थे। जैसे ही रास्ते में ग्राम प्रधान सुभाष के घर के सामने पहुंचे तो सुरेन्दर पुत्र शोभा सिंह व बाबी पुत्र सुभाष तथा सुभाष का भान्जा मोन्टी शराब के नशे में धुत होकर बाईक रोकने लगे और कहा कि चमार चट्‌टो तुम्हारी हिम्मत कि जबान दाराजी करो। उपरोक्त तीनो ने मारपीटा तथा बीच बचाव करने पहुंची उसकी बेटी काजल से भी हाथापाई कर उसके कपडे फाड दिये। जब इतने से भी उपरोक्त तीनो का मन नहीं भरा तो कुछ ही देर बाद अपने दर्जनों समर्थकों सहित हाथो में लाठी डन्डे व सरिया तथा धारदार हथियार लेकर गालियां देते हुए उसके घर में आ घुसे, जो हाथ लगा उसे मारा तथा औरतो से बदतमीजी की तथा उसके घर पर पथराव कर दिया। वह डरा सहमा थाने आया है।

3– वादी मुकदमा के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 13–03–2020 को थाना कोतवाली देहात में प्राथमिकी मु0अ0सं0 70/2020 अन्तर्गत धारा 147, 323, 336, 354ख, 452, 504 भा0दं0सं0 व 3(1)द, 3(1)ध एस.सी.,एस.टी.(पी0ए0) एक्ट अभियुक्तगण सुरेन्द्र, बाबी व दर्जनों व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत की गयी तथा मुकदमें का विवरण सामान्य दैनिकी दिनांकित 13–03–2020 के क्रम सं0 53 पर समय 21:29 बजे दर्ज किया गया।

विवेचना

4– दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी मुकदमा के बयान अंकित कर घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा अन्य साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। मामले में धारा 147, 336, 354ख, 452 भा0दं0सं0 का लोप करते हुए अभियुक्तगण सुरेन्द्र सिंह, बोबी कुमार व मुकेश कुमार उर्फ मोन्टी कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 111/2020 दिनांकित 30–05–2020 **प्रदर्श क–5** अन्तर्गत धारा 323, 504, भा0दं0सं0 व 3(1)द, 3(1)ध एस.सी.,एस.टी.(पी0ए0) एक्ट न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आरोप

5– अभियुक्तगण सुरेन्द्र सिंह, बोबी कुमार व मुकेश कुमार उर्फ मोन्टी कुमार के विरूद्व दिनांक 17–09–2021 को धारा 323 सपठित धारा 34, 504 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस0सी0,एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपो से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

अभियोजन साक्ष्य

6– अपने मामले को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल 07 साक्षियों को परीक्षित कराया है, जो निम्न प्रकार हैं–

साक्षी क्रम सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का विवरण	साक्षी द्वारा साबित अभिलेख	अभिलेख का विवरण
1	गौरव	पक्षद्रोही साक्षी		
2	काजल	पक्षद्रोही साक्षी		
3	विनोद देवी	पक्षद्रोही साक्षी		
4	महेश वादी मुकदमा	पक्षद्रोही साक्षी	प्रदर्श क–1	प्रार्थना पत्र
5	विजेन्द्र सिंह	पक्षद्रोही साक्षी		

7– अभियोजन प्रपत्र प्राथमिकी प्रदर्श क–2, सामान्य दैनिकी प्रदर्श क–3, नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क–4 व आरोप पत्र प्रदर्श क–5 की औपचारिक सत्यता अभियुक्तगण की ओर से स्वीकार की गयी है।

8– **पी0डब्लू0–1, गौरव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि ''मैं जाति से हरिजन हूं। मेरे पिता का नाम महेश सिह पुत्र छोटे सिंह है। जो लगभग 3–4 महीने से पक्षाघात पड जाने के कारण बोलने व चलने में असमर्थ हैं'' इस साक्षी ने आगे कहा कि दिनांक 10–03–2020 को उसके साथ किसी का झगडा नहीं हुआ था। वह अपने गांव के सुरेन्द्र, बोबी व अन्य अभियुक्त मुकेश को जानता हैं। इन लोगो का कभी कोई झगडा मेरे साथ नही हुआ तथा न ही कभी जाति सूचक शब्द कहे न ही कभी कोई गाली गलौच की

न ही इनसे मुझे कोई शिकायत है न ही मुझे मालूम है कि मेरे पिता ने अभियुक्तगण के नाम मेरे साथ मारपीट करने की घटना में लिखाये। इस स्तर पर अभियोजन के अनुरोध पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियाजन द्वारा गवाह से प्रतिपरीक्षा की गयी है।

9– **पी0डब्लू0–2, काजल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि ''महेश सिंह मेरे पिता है, गौरव मेरा भाई है। मैं सुरेन्द्र, बोबी कुमार व मुकेश को जानती हूं, जो हमारे ही गांव के है, कश्यप जाति के हैं।'' इस साक्षी ने आगे कहा कि दिनांक 10–03–2020 को होली वाले दिन उसके भाई गौरव का सुरेन्द्र आदि से कोई झगडा नहीं हुआ था न ही उसके सामने इन्होंने उसके भाई व परिवारवालो को गाली गलौच कर मारपीट की थी। इस स्तर पर अभियोजन के अनुरोध पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियाजन द्वारा गवाह से प्रतिपरीक्षा की गयी है।

10– **पी0डब्लू0–3, विनोद देवी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि ''महेश सिंह मेरे पति, गौरव मेरा लडका व काजल मेरी लडकी है। मैं सुरेन्द्र, बोबी व मुकेश को जानती हूं हमारे ही गांव के रहने वाले है, जाति से धीमर हैं।'' इस साक्षी ने आगे कहा कि दिनांक 10–03–2020 को होली के दिन हाजिर अदालत मुल्जिमान न ही उसके घर आये थे और न ही उसके व उसकी लडकी के साथ कोई बदतमीजी कर पथराव किया न ही उसके सामने गौरव, बन्टी को उपरोक्त मुल्जिमानो से कोई झगडा हुआ और न ही उन्होंने गाली गलौच की। इस स्तर पर अभियोजन के अनुरोध पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियाजन द्वारा गवाह से प्रतिपरीक्षा की गयी है।

11– **पी0डब्लू0–4, महेश वादी मुकदमा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि ''मैं पढा लिखा नहीं हूं। ढाई–तीन साल पहले मेरे फालिस पड गया था। अब मैं बोलने की स्थिति में आया हूं। गौरव मेरा लडका, काजल मेरी लडकी तथा विनोद देवी मेरी पत्नी है। सुरेन्द्र सिंह, बोबी व मुकेश मेरे ही गांव के रहने वाले हैं तथा जाति से धीमर हैं जो शराबी किस्म के लोग हैं।'' इस साक्षी ने आगे कहा कि दिनांक 10–03–2020 को उसके लडके गौरव के साथ गांव में ही कुछ लोगो के साथ कहा सुनी हो गयी थी। सूचना पर मैं भी गया था। दुल्हेन्डी का दिन था। कुछ लोगो में शराब पीकर कहा सुनी हो रही

थी। गौरव के साथ कहा सुनी करने वालो में गांव वालो ने मुझे मुल्जिमान के नाम बताकर एक तहरीर लिखवाकर उस पर निशानी अंगूठा लगवाकर थाना कोतवाली देहात पर दिलवा दी थी। गवाह को पत्रावली पर मौजूद कागज सं0 क–7 दिखाया गया व पढकर सुनाया गया व उसका निशानी अंगूठा दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि निशानी अंगूठा तो मेरा है परन्तु जो आपने पढकर सुनाया है वह बात गांव वालो ने पढकर नहीं सुनायी थी। कागज सं0 क–7 पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इस स्तर पर अभियोजन के अनुरोध पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियाजन द्वारा गवाह से प्रतिपरीक्षा की गयी है। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा कोई जिरह नहीं करने का पृष्ठांकन आदेश पत्र पर किया गया है।

12– **पी0डब्लू0–5, विजेन्द्र** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि '' मैं अपने ही गांव के महेश, उसके पुत्र गौरव, बन्टी तथा अभियुक्तगण सुरेन्द्र, बोबी व मुकेश को भली प्रकार जानता हूं। '' इस साक्षी ने आगे कहा कि उसके सामने इन लोगो ने कभी किसी त्योहार पर कोई झगडा नही किया न ही इस मुकदमे सम्बन्धी घटना की उसे कोई जानकारी है। आज से पूर्व उसने कहीं कोई बयान इस घटना के सम्बन्ध में नहीं दिया। इस स्तर पर अभियोजन के अनुरोध पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियाजन द्वारा गवाह से प्रतिपरीक्षा की गयी है।

बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0

13– अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अभियुक्तगण सुरेन्द्र सिंह, बोबी कुमार व मुकेश कुमार उर्फ मोन्टी कुमार के बयान अंकित किये गये, जिसमें उन्होंने उन पर लगाये गये आरोपो से इन्कार किया और यह कथन किया कि उनके विरूद्ध गलत मुकदमा चला है। सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया।

बहस एवं अभिलेख का परीक्षण

14– मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री शलभ शर्मा को सुना तथा अभिलेखों का परीक्षण किया।

15– विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूति हेतु अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा के पुत्र गौरव व बन्टी पुत्र नरेश को मारपीट करके उपहति कारित की व गन्दी गन्दी जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया। यद्यपि अभियोजन साक्षी पक्षद्रोही हैं, परन्तु पक्षद्रोही साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाए।

16– अभियुक्तगण के अधिवक्तागण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, अभियोजन साक्षी सं0 1, 2, 3 ,4 व 5 को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध साबित नहीं है, उन्हें दोषमुक्त किया जाए।

निष्कर्ष

17– अभियुक्तगण पर अभियोग है कि दिनांक 10–03–2020 को समय 03:00 बजे शाम, स्थान ग्राम आनन्द खेडी, अन्तर्गत थाना कोतवाली देहात, जिला बिजनौर में सामान्य आशय की पूर्ति हेतु वादी मुकदमा महेश के पुत्र गौरव व बन्टी पुत्र नरेश के साथ मारपीट करके उपहति कारित की व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर गन्दी गन्दी जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया।

18– मुख्य अभियोग के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण मामला पी0डब्लू0–1 गौरव, पी0डब्लू0–2 काजल, पी0डब्लू0–3 विनोद देवी, पी0डब्लू0–4 महेशक व पी0डब्लू0–5 सुरेन्द्र के साक्ष्य पर निर्भर करता है, क्योंकि पी0डब्लू0–1 घटना में चोटिल हुआ है एवं विवेचना में पी0डब्लू0–2 ता 5 को घटना स्थल पर उपस्थित होना दर्शाया गया है।

19– पी0डब्लू0–1 गौरव, जो इस घटना का चुटैल साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10–03–2020 को उसके साथ किसी का झगडा नहीं हुआ था। वह अपने गांव के सुरेन्द्र, बोबी व अन्य अभियुक्त मुकेश को जानता हैं। इन लोगो का कभी कोई झगडा उसके साथ नही हुआ तथा न ही कभी जाति सूचक शब्द कहे न ही कभी कोई गाली गलौच की न ही इनसे उसे कोई शिकायत है न ही उसे मालूम है कि उसके पिता ने अभियुक्तगण के नाम उसके साथ मारपीट करने की घटना में लिखाये।

अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में भी इस साक्षी ने अभियुक्तगण सुरेन्द्र, बोबी व मुकेश को घटना से संबद्ध नहीं किया। साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से कथित किया गया है कि उसे नहीं पता कि उसके पिता ने इन लोगो के नाम उसके व उसकी बहन के साथ मारपीट करने व जातिसूचक शब्दो का प्रयोग कर बेईज्जती करने के मुकदमे में लिखाये या नहीं। इस साक्षी ने धारा 161 द0प्र0सं0 के अंतर्गत विवेचक को दिये गये बयान से इन्कार किया तथा कहा कि यदि विवेचक द्वारा ऐसा अंकित किया गया है तो वह उसकी वजह नहीं बता सकता। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसके कोई चोट किसी झगडे में कभी नही आयी न ही उसका कोई डाक्टरी मुआयना पुलिस या घरवालो ने कराया। अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में भी उसने स्पष्ट रूप से कथित किया है कि अभियुक्तगण सुरेन्द्र, बोबी व मुकेश ने उसके साथ कभी मारपीट व गाली गलौच कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके कोई घटना कारित नहीं की है। पी०डब्लू०-1 घटना का चुटैल एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, परन्तु वह कथित घटना के सम्बन्ध में मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को मारपीट कर जातिसूचक शब्दों के साथ गाली गलौच करके अपमानित करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर रहा है। अतः पी०डब्लू०-1 की साक्ष्य अभियुक्तगण सुरेन्द्र, बोबी व मुकेश द्वारा आरोपित घटना कारित किये जाने की पुष्टि नहीं होती है।

20- पी0डब्लू0-2 काजल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10-03-2020 को होली वाले दिन उसके भाई गौरव का सुरेन्द्र आदि से कोई झगडा नहीं हुआ था न ही उसके सामने इन्होंने उसके भाई व परिवारवालो को गाली गलौच कर मारपीट की थी। अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने मात्र यह स्वीकार किया है कि दिनांक 10-03-2020 को गौरव और अभियुक्तगण सुरेन्द्र, बोबी आदि की केवल बोलचाल हुई थी। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने विवेचक को अभियुक्तगण द्वारा अपने भाई गौरव को मारने पीटने व गाली गलौच करने वाली बात नहीं बतायी। इस साक्षी ने धारा 161 द0प्र0सं0 के अंतर्गत विवेचक को दिये गये बयान से इन्कार किया तथा कहा कि यदि विवेचक द्वारा ऐसा लिख दिया गया है तो वह उसकी वजह नहीं बता सकती। अभियुक्तगण

की ओर से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी। इस प्रकार पी०डब्लू०-2 घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उसने अभियुक्तगण को घटना कारित करते हुए नहीं देखा और न ही न्यायालय के समक्ष उन्हें घटना से संबद्ध किया है। इस साक्षी की साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता है।

21- पी०डब्लू०-3 विनोद देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10-03-2020 को होली के दिन हाजिर अदालत मुल्जिमान न ही उसके घर आये थे और न ही उसके व उसकी लडकी के साथ कोई बदतमीजी कर पथराव किया न ही उसके सामने गौरव, बन्टी को उपरोक्त मुल्जिमानो से कोई झगडा हुआ और न ही उन्होंने गाली गलौच की। अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में भी इस साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से कथित किया गया कि मेरे पति ने मुल्जिमान के विरूद्ध मारपीट का कोई मुकदमा लिखाया या नहीं उसे जानकारी नहीं है। अन्य साक्षीगण की तरह इस साक्षी ने भी विवेचक को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० से इन्कार किया गया है और कहा कि यदि ऐसे बयान लिख दिये तो वह इसकी कोई वजह नही बता सकती। अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में भी उसने स्पष्ट रूप से कथित किया कि उसके सामने अभियुक्तगण सुरेन्द्र, बोबी व मुकेश ने गौरव के साथ एक राय होकर मारपीट व गाली गलौच लोक दृष्टि वाले स्थान पर नहीं की और न ही आज तक उसे इस बारे में कोई जानकारी है। इस प्रकार पी०डब्लू०-3 न तो आरोपित घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सिद्ध होती है और न ही उसने अभियुक्तगण सुरेन्द्र, बोबी व मुकेश को घटना से संबद्ध किया है। इस साक्षी द्वारा भी अभियोजन कथानक को नकार दिया गया है।

22- पी०डब्लू०-4 महेश वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10-03-2020 को उसके लडके गौरव के साथ गांव में ही कुछ लोगो के साथ कहा सुनी हो गयी थी। सूचना पर वह भी गया था। दुल्हेन्डी का दिन था। कुछ लोगो में शराब पीकर कहा सुनी हो रही थी। गौरव के साथ कहा सुनी करने वालो में गांव वालो ने उसे मुल्जिमान के नाम बताकर एक तहरीर लिखवाकर उस पर निशानी अंगूठा लगवाकर थाना कोतवाली देहात पर दिलवा दी थी। अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को

पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने केवल इतना स्वीकार किया कि उसने सी0ओ0 साहब को मुल्जिमान के नाम बताये थे। स्वयं कहा कि गांव वालो के कहने पर बताये थे। घटना में उसे परिवार के किसी सदस्य के कोई चोट नहीं आयी थी। इस प्रकार इस साक्षी का साक्ष्य अभियुक्तगण द्वारा उसके पुत्र गौरव के साथ मारपीट व जाति सूचक शब्दों के साथ गाली–गलौज करके अपमानित किये जाने के अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है तथा अभियोजन कथानक को इस साक्षी के कथनों से कोई बल नहीं मिलता है।

23– पी०डब्लू०–5 विजेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके सामने अभियुक्तगण सुरेन्द्र, बोबी व मुकेश तथा गौरव व बन्टी ने कभी किसी त्योहार पर कोई झगडा नहीं किया न ही उसे इस मुकदमे की घटना की कोई जानकारी है। अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन न करते हुए स्पष्ट रूप से कथित किया है कि उसे करीब 08 वर्ष पूर्व उपरोक्त नामित लोगो में होली पर कहा सुनी हो जाने और गांववालो के द्वारा दोनों पक्षों में समझौता कराने की जानकारी है, परन्तु वह नहीं बता सकता कि दोनों पक्षों में क्या घटना घटी। उसने पुलिस को इस सम्बन्ध में कोई बयान दिये जाने से भी इन्कार किया। इस साक्षी ने विवेचक को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० से भी इन्कार करते हुए कहा कि यदि ऐसा लिख दिया तो वह उसका कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार पी०डब्लू०–5 की घटनास्थल पर उपस्थिति स्थापित नहीं होती है और उसने न तो आरोपित घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा है और न ही अभियुक्तगण सुरेन्द्र, बोबी व मुकेश को घटना से संबद्ध किया है। अतः इस साक्षी का साक्ष्य अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं करता, जिस काराण इस साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष को समर्थन नहीं मिलता है।

24– अभियोजन प्रपत्र प्राथमिकी प्रदर्श क–2, सामान्य दैनिकी प्रदर्श क–3, नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क–4 व आरोप पत्र प्रदर्श क–5 की सत्यता की सत्यता को अभियुक्तगण की ओर से स्वीकार किया गया है, परन्तु विधिक रूप से किसी प्रकरण में अन्तर्निहित तथ्यों को औपचारिक साक्षियों के माध्यम से नहीं बल्कि तथ्य से संबंधित

सुसंगत व विश्वसनीय साक्षियों/साक्ष्यों के माध्यम से साबित किया जाना आवश्यक है। अभियोजन प्रपत्र मात्र पुष्टिकारक साक्ष्य है और मात्र पुष्टिकारक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्व किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

25– उपरोक्त समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के विवचेना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि घटना का पीड़ित पी0डब्लू0–1 गौरव एवं वादी मुकदमा पी०डब्लू०–4 महेश ने स्वयं मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय की पूर्ति में गौरव व बन्टी के साथ मारपीट करने व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर जातिसूचक शब्दों के साथ गाली–गलौज करके अपमानित किये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। पी०डब्लू०–2 काजल, पी0डब्लू0–3 विनोद देवी व पी0डब्लू0–5 विजेन्द्र सिंह में से किसी ने भी अभियुक्तगण को आरोपित घटना कारित करते हुए देखने अथवा उन्हें घटना से संबद्ध करने का समर्थन नहीं किया है। अतः उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण सुरेन्द्र, बोबी व मुकेश द्वारा दिनांक 10–03–2020 को समय 03:00 बजे दोपहर वादी मुकदमा के पुत्र गौरव व बन्टी पुत्र नरेश के साथ सामान्य आशय की पूति हेतु मारपीट करके उपहति कारित करना, गन्दी गन्दी गालियां देकर जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करना संदेह से परे साबित नहीं हैं।

26– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण सुरेन्द्र सिंह, बोबी कुमार व मुकेश कुमार उर्फ मोन्टी कुमार उनके विरूद्व लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323 सपठित धारा 34, 504 भा0दं0सं0 व 3(1)द, 3(1)ध एस0सी0,एस0टी0(पी0ए0) एक्ट से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

27– इस मामले के अभियोजन साक्षी संख्या–1 चुटैल गौरव एवं अभियोजन साक्षी सं0 4 महेश ने विवेचना के दौरान अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में घटना एवं प्राथमिकी का समर्थन किया है, परन्तु न्यायालय में दिए गए बयानों में प्रार्थना पत्र एवं बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 के विपरीत कथन किये है जिससे यह साबित होता है कि अभियोजन साक्षी संख्या–1 गौरव व अभियोजन साक्षी सं0–4 महेश ने न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथन किया है। अतः न्याय के हित में आवश्यक है कि उनका संक्षिप्त विचारण किया जाये।

आदेश

28– अभियुक्तगण सुरेन्द्र सिंह, बोबी कुमार व मुकेश कुमार उर्फ मोन्टी कुमार को आरोप अन्तर्गत धारा 323 सपठित धारा 34, 504 भा0दं0सं0 व 3(1)द, 3(1)ध एस0सी0,एस0टी0(पी0ए0) एक्ट से दोषमुक्त किया जाता है।

29– अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अंकन 20,000–20,000/–रूपये(बीस–बीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल करे।

30– अभियोजन साक्षी संख्या–1 गौरव व अभियोजन साक्षी सं0–4 महेश के द्वारा किये गये विरोधाभाषी व मिथ्या कथन के आधार पर उनके विरूद्व धारा 344 दं0प्र0सं0(383 बी0एन0एस0एस0) के तहत अलग से प्रकीर्ण वाद पंजीकृत हो तथा हेतुक संदर्भित करने के लिये प्रसूचना पत्र निर्गत हो, कि क्यों न उसको धारा 344 दं0 प्र0 संहिता के प्राविधान के अनुसार दण्डित किया जाये।

31– पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 20–08–2026

(अपर्णा पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।
J.O.Code U.P.-6325

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 20–08–2026

(अपर्णा पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।
J.O.Code U.P.-6325